भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1355

28.07.2025 को उत्तर के लिए

गाजीपुर लैंडफिल का स्थानांतरण

1355. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में स्थित गाजीपुर लैंडफिल स्थल एशिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समन्वय से इस विषय पर कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति द्वारा स्थल से सभी कचरे को हटाने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाजीपुर लैंडफिल और गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गाजीपुर डंपसाइट वर्ष 1984 से प्रचालन में है और यह 70 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2019 में ठोस अपशिष्ट की मात्रा 140 लाख मीट्रिक टन थी। इस डंपसाइट पर मौजूद पुराने अपशिष्ट से संबंधित जैविक-खनन और जैविक सुधार संबंधी कार्य वर्ष 2019 में शुरू किए गए थे। वर्तमान में, उक्त डंपसाइट पर लगभग 82 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट मौजूद है।

(ख) से (घ): ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 स्थानीय निकायों को सभी खुले डंपसाइटों और मौजूदा क्रियाशील डंपसाइटों की जैविक-खनन और जैविक-सुधार की क्षमता के आधार पर उनकी जांच एवं विश्लेषण करने और जहां भी संभाव्य हो, उन स्थलों के जैव-खनन तथा जैविक-सुधार के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिदेशित किया है। इसके अलावा, डंपसाइट में जैविक-खनन और जैविक-सुधार की संभावना न होने पर इसे पर्यावरण को बाद में होने वाले नुकसान से रोकने के लिए लैंडफिल कैपिंग प्रतिमानकों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से ढका जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2019 में पुराने अपशिष्ट के निपटान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सीपीसीबीसभी एसपीसीबी/पीसीसी को पुराने अपशिष्ट के जैविक-खनन के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए दिनांक 27.01.2021 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश भी जारी किए हैं।

*****